निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं0 पटना 535) पटना, शुक्रवार, 21 जून 2024

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

20 जून 2024

सं० 21/आयोग-07/2024—9667/सा0प्र0—भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल, राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न आयोगों द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया के संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**–
   (1) यह नियमावली **"विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जानेवाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया निर्धारण नियमावली, 2024"** कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2. **परिभाषाएँ।**– इस नियमावली में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो–
   (i) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
   (ii) **"आयोगों"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य के अधीन सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने वाले सभी आयोग;
   (iii) **"विभाग"** से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग;

3. **चयन की प्रक्रिया** ।– राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर परीक्षाओं को यथा आवश्यक चरणों में आयोजित किया जायेगा तथा उक्त चरणों की परीक्षाओं को ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यम से आयोजित कराया जा सकेगा और आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्रों को पटना एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में रखा जा सकेगा।

4. **कठिनाइयों का निराकरण एवं निर्वचन।**– जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न हो तो उसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

5. **अभिभावी प्रभाव।**– राज्य सरकार की किसी सेवा/संवर्ग नियमावली में, इस नियमावली से भिन्न किसी प्रावधान के रहते हुए भी, इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

6. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**– राज्य सरकार के अंतर्गत सभी प्रशासी विभागों की सेवा/संवर्ग नियमावली इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो॰ सोहैल,
सरकार के सचिव।

---

20 जून 2024

सं० 21/आयोग-07/2024,सा.प्र.–9668,दिनांक–20.06.2024 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–9667, दिनांक–20.06.2024 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार सरकार के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो॰ सोहैल,
सरकार के सचिव।

The 20th June 2024

No.-21/Aayog-07/2024-**9667**/ GAD —In exercise of the power conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Bihar is making following rules to amend the process of conducting of competitive examinations to be conducted by various commissions under the State Government for appointment to government services

1. ***Short title, extent and commencement.***— (1) These rules may be called **"Rules for determining the procedure for competitive examinations to be conducted by various Commissions, 2024".**

(2) It will extend to the entire state of Bihar.

(3) It shall come into force immediately

2. ***Definitions.*** *- Unless there is anything contrary to the subject matter or context in these rules -*

(i) "***State Government***" means the Government of Bihar;

(ii) "***Commissions***" means all the Commissions conducting competitive examinations for appointment to Government services under the State of Bihar;

(iii) "***Department***" means General Administration Department;

3. ***Process of Selection.***— For appointment in government services under the State Government, examinations will be conducted in required phases by various Commissions in coordination with the concerned Departments and the examinations of the said phases will be conducted through online or offline medium and as per requirement, examination centers may be allocated in Patna and its surrounding areas.

4. ***Resolution and interpretation of difficulties.***— Where any doubt arises in the interpretation of any provision of these rules, it will be decided by the General Administration Department and its decision will be final.

5. ***Over-riding effect.***— Notwithstanding any provision contained contrary to the provisions of these Rules, in a Service/Cadre Rules of the State Government, the provisions of these Rules shall have over-riding effect.

6. ***Repeal and Saving.***— The service/cadre rules of all administrative departments under the State Government will be deemed amended to this extent.

By the order of the Governor of Bihar,
Md. Sohail,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 535-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in